न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 41 / 2022

अनवान : –

1. लेखराम पुत्र मुन्शीराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. जुगलाल पुत्र खुबाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय   दिनांकः 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 18 जेएसएन के खाता संख्या 23 / 20 की कुल 3.2490 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 2 एवं रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 83 / 21 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि चक 18 जेएसएन की कुल 48 बीघा भूमि थी जो कि संयुक्त खाता में दर्ज थी। उक्त भूमि का खाता विभाजन का दावा माननीय न्यायालय एसडीओ कोर्ट नोहर में वाद संख्या 313 / 98 बअनवानी गोपाल बनाम सरबती आदि में दिनांक 24.04.99 को खाता विभाजन की डिक्री की गई की रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 333 / 413 मु0न0 48 के किला न0 2 की 1 बीघा 9 ता 13 की 5 बीघा, 18 ता 23 की 6 बीघा, प0न0 332 / 413 मु0न0 49 के किला न0 16 की 0.06 बिस्वा, 17 की 0.06 बिस्वा, 24–25 की 2 बीघा कुल 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि जिसमें 11. 12 बीघा नहरी व 3 बीघा बारानी एवं प0न0 332 / 413 मु0न0 49 के किला न0 17 व 24 में 1–1 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त डिक्री के पश्चात रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2056 में तहसीलदार नोहर द्वारा पालना करवायी गयी तथा इन्तकाल स0 128 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक निर्णय व पर्चा डिक्री अंकन कर दिया गया है।

उक्त नामान्तरण के जमाबन्दी में मुताबिक पर्चा डिक्री व निर्णय के अंकन होने के पश्चात नहर में कुछ भूमि आयी जिसके मुताबिक नहर में आयी भूमि का नामान्तरण इन्तकाल स0 146 दर्ज किया गया जिसके मुताबिक प0न0 332 / 413 मु0न0 49 के किला न0 21 की 0.06 बिस्वा, 22 की 0.16 बिस्वा, प0न0 331 / 413 मु0न0 50 के किला न0 24 की 0.06 बिस्वा, किला न0 25 की 0.06 बिस्वा कुल 0. 0354 हैक्ट भूमि गै0मु0 नहर दर्ज कर दिया गया।

समस्त कार्यवाही के पश्चात जब वर्तमान जमाबंदी ऑनलाईन की गई तब रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 333 / 413 मु0न0 49 के किला न0 17 / 2 की 0.0760 हैक्ट व किला न0 24 की 0.164 हैक्ट दर्ज कर दिया गया व किला न0 25 की 0.1640 हैक्ट दर्ज किया गया जबकि किला न0 24 की 0.164 हैक्ट की जगह 0.5150 हैक्ट दर्ज होना था तथा 0.1250

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

हैक्ट गै0मु0 रास्ता दर्ज होना चाहिए था तथा किला न0 17/2 की 0.0760 हैक्ट की जगह 0.06350 हैक्ट भूमि तथा 0.01250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता दर्ज होना चाहिए था।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 23 बहक जुगलाल पुत्र खुबाराम के प0न0 332/413 मु0न0 49 के किला न0 17/2 की 0.0760 हैक्ट की जगह 17/2 की 0.06350 हैक्ट तथा किला न0 17/3 की 0.01250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता तथा किला न0 24 की 0.164 हैक्ट की जगह 0.15150 हैक्ट व किला न0 24/2 की 0.01250 हैक्ट भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो कि शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी स0 2 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अप्रार्थी स0 2 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपी पर्चा डिक्री दिनांक 02.04.99 न्यायालय उपजिला कलक्टर नोहर, नकल इन्तकाल संख्या 128, नकल जमाबंदी सम्वत 2056 बहक प्रार्थी एवं अप्रार्थी आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि चक 18 जेएसएन की कुल 48 बीघा भूमि थी जो कि संयुक्त खाता में दर्ज थी। उक्त भूमि का खाता विभाजन का दावा माननीय न्यायालय एसडीओ कोर्ट नोहर में वाद संख्या 313/98 बअनवानी गोपाल बनाम सरबती आदि में दिनांक 24.04.99 को खाता विभाजन की डिक्री की गई उक्त डिक्री के पश्चात रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2056 में तहसीलदार नोहर द्वारा पालना करवायी गयी समस्त कार्यवाही के पश्चात जब वर्तमान जमाबंदी ऑनलाईन की गई तब रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 333/413 मु0न0 49 के किला न0 17/2 की 0.0760 हैक्ट व किला न0 24 की 0.164 हैक्ट दर्ज कर दिया गया तथा किला न0 25 की 0.1640 हैक्ट दर्ज किया गया जबकि किला न0 24 की 0.164 हैक्ट की जगह 0.15150 हैक्ट दर्ज होना चाहिए था तथा 0.1250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता दर्ज होना चाहिए था तथा किला न0 17/2 की 0.0760 हैक्ट की जगह 0.06350 हैक्ट भूमि तथा 0.01250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता दर्ज होना चाहिए था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 18 जेएसएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 3.2490 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 2 एवं रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 83/21 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 128 से स्पष्ट साबित है कि प0न0 332/413 के किला न0 17 व 24 मं गै0मु0 रास्ता दर्ज था तथा न्यायालय उपजिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 02.04.99 में भी प0न0 332/413 मु0न0 49 के किला न0 17 व 24 में एक एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी में उक्त रास्ते का अंकन नही किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 23 बहक जुगलाल पुत्र खुबाराम के प0न0 332/413 मु0न0 49 के किला न0 17/2 की 0.0760 हैक्ट की जगह 17/2 की 0.06350 हैक्ट तथा किला न0 17/3 की 0.01250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता तथा किला न0 24 की 0.164 हैक्ट की जगह 0.15150 हैक्ट व किला न0 24/2 की 0.01250 हैक्ट भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का संशोधन किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:35 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : सशोधन / 2023 / 1413 दिनांक : 27/12/23

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 41 / 2022 अनवानी लेखराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 41 / 2022
अनवान : –

1. लेखराम पुत्र मुन्शीराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. जुगलाल पुत्र खुबाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 23 बहक जुगलाल पुत्र खुबाराम के प0न0 332 / 413 मु0न0 49 के किला न0 17 / 2 की 0.0760 हैक्ट की जगह 17 / 2 की 0.06350 हैक्ट तथा किला न0 17 / 3 की 0.01250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता तथा किला न0 24 की 0.164 हैक्ट की जगह 0.15150 हैक्ट व किला न0 24 / 2 की 0.01250 हैक्ट भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का संशोधन किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नेहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:35 IST
Reason: SelfAttested